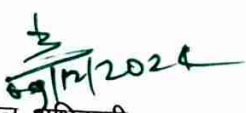


आदेश की क्र०स० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा गवही में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं०- 95, प्लॉट सं०- 311 कुल रकबा- 0.38 ए० पर श्रीमति कवलपति देवी पति देवबली मांझी के द्वारा जोत-कोड किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के बंदोबस्ती वाद सं० 162/2002-03 के अन्तर्गत दिनांक 12.07.2003 को मौजा गवही थाना सं० 477 के अंतर्गत उक्त खाता सं० 95, प्लॉट सं०- 311 रकबा 0.30 ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत श्रीमति कवलपति देवी पति देवबली मांझी के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा गवही के मांग पंजी II के पेज सं० 115/3 पर दर्ज होकर वर्ष 2015-16 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। उक्त अवैध जमाबंदी वाद सं० 23/2016-17 से बाहर किया जा सकता है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद की कार्रवाई <u>समाप्त</u> की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, मनातू।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में,
अंमल अधिकारी
मनासू पलामू

विषय - संदिग्ध / संदेहास्पद जमावंदी केस नं० 23/2016-17
के जांच प्रिवेड के संबंध में
महोदय, उपभुक्त विषय के संदर्भ में प्रिवेटिवे केस नं० 16/2002-03

संदिग्ध / संदेहास्पद जमावंदी वाट नं० 23/2016-17
को जांच करने स्थल पर संभुक्त दफा से डा. अमीत
के साथ गया / स्थल पर पाया कि मौजा - जवही के
खाना नं० 95 लॉट नं० 311 एका 30 बी बूमिफ-डीमी
कुवलपरी देवी पारी देववली मांडी का स्थल कब्जा है।
कागजात का मांग करने पर अनुमंडल पदाधिकारी
सदर पलामू के द्वारा वंदोवली वाट नं० 16/2002-03
का वंदोवली पंजी खास रसीद का ब्यापार किया।
मांगपंजी के मिलान करने पर पाया कि मौजा जवही
के मांगपंजी के वाट नं० 115/3 पर खाना नं० 95 लॉट नं०
311 रकबा 0.30 एकड़ बूमि पर कुवलपरी देवी पारी
देववली मांडी के नाम पर मांग कायम हो कर स-
राजत्व रसीद निर्गत होगा जो स्थलीय प्रजा
अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत वंदोवली पंजी
राजत्व रसीद को देखने से स्पष्ट होगा कि संदिग्ध
संदेहास्पद मांगपंजी नहीं है।

अतः संदिग्ध संदेहास्पद जमावंदी
वाट नं० 23/2016-17 को संदिग्ध संदेहास्पद कुंजी
से बाहर किया जा सकता है।

जनेश्वर सिंह
डा. अमीत मनासू
3/11/2024

3/11/24
R.S.I